रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1996/माघ 27, 1917

No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1996/ MAGHA 27, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1996

का० आ० 128(अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)की धारा 5 के अधीन कानपुर कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, 51/56, कलक्टरगंज, कानपुर--208001 द्वारा मान्यता के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1998 तक की 2 वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 16/14/आई० टी०/93]

अशोक कमूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1996

S.O. 128(E).—The Central Government having considered, in consultation with the Forward Markets Commission the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., 51/56, Collectorganj, Kanpur 208 001, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said association for a period of two years from the 1st April, 1996 to 31st March, 1998 in respect of forward contracts in 'gur' (i.e. jaggery).

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 16/14/IT/93]
ASHOK KAPUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996